न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कवंर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 136/2015

दायर दिनांक 01.08.2015

1. पृथ्वीराज पुत्र शिशपाल
2. टेकचन्द पुत्र शिशपाल
3. दयाराम पुत्र हरसाराम
4. छोटूराम पुत्र हरसाराम
5. प्रदीप कुमार पुत्र बीरबल
6. कालूराम पुत्र बीरबल
7. गोरूराम पुत्र नाराणा
8. संजू स्त्री बिड़दूराम

जाति मेघवाल निवासीगण चौढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. मूली देवी पुत्र सेडूराम पत्नी नारायण
2. बनाराम पुत्र भानाराम
3. संतोष स्त्री बनाराम
4. लेखराम पुत्र शिशपाल
5. छोटू पुत्र गोरूराम
6. मीरा स्त्री पप्पू
7. सरिता स्त्री गोरूराम

जाति मेंघवाल निवासीगण चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 7 व 13</u>
<u>सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री शीशुपाल सिंह कुल्हरी
ऐडवोकेट अप्रार्थी –श्री अमर सिंह शेखावत

आदेश

दिनांक 27–05–2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. आदेश 9 नियम 7 व 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– न्यायालय में अप्रार्थिया नम्बर 01 मूली देवी ने एक वाद उनवानी मूली देवी बनाम बनाराम आदि मुकदमा नम्बर 135/2009 का पेश किया था कि ग्राम चौढ़ाणी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1456 रकबा 1.05 हैक्टर स्थित है, जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त की है। लेकिन प्रार्थीया गलत आधारो पर दा[illegible] बाला रूप से डिक्री करवा लिया प्रार्थीगण को उक्त वाद में संबंध में न तो न्यायालय का कोई नोटिस [illegible] और ना ही न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बारे में कोई जान[illegible] ने [illegible] बाला रूप से दावा डिक्री करवा लिया है तो प्रार्थीगण ने न्यायालय में [illegible] के बारे में जानकारी हुई।

प्रार्थीगण मे से किसी को भी सम्मन प्रोपर रूप से ता[illegible] नही हुये है न ही सम्मनों प[illegible] कुनिन्दा ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट की है, गलत रूप [illegible] प्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी ता[illegible] आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी और फर्जी रूप से तामिल दिखाकर दावा डिक्री किया गया है। अप्रार्थीया नम्बर 01 ने फर्जी तामिल के आधार पर दावा डिक्री करवाया है, जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

गया, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के सामने अपना पक्ष स्पष्ट नही कर सके। विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित है, प्रार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है, जिससे न्यायालय के सामने वास्तविक तथ्य आ सके ओर प्रकरण का निर्णय भी गुण अवगुण पर हो सके। दिनांक 30.06.2015 को एक पक्षीय वाद डिक्री किया गया है, उस डिक्री को मंसुख किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

उक्त प्रकरण का निर्णय ग्राम पूजारी की ढाणी के राजस्व कैम्प में किया गया है कैम्प में भी न तो प्रार्थीगण को कोई सूचना दी गई न कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थीया नम्बर 01 मूली देवी ने भूमि हड़पने के लिए बाला–बाला रूप से दावा डिक्री करवाया है और तामिल कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामिल दिखाई है। प्रार्थी टेकचन्द के विरूद्ध तो आदेशिका में किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया गया है उसके बावजूद भी दावा डिक्री किया गया है, डिक्री कायम रहने से प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है और फर्जी तामिल के आधार पर जो डिक्री प्राप्त की है, उस डिक्री का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि हड़पना चाहते है। इसलिए एक पक्षीय डिक्री को मंसुख किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

प्रार्थीगण को एक पक्षीय कार्यवाही के बारे में दिनांक 27.07.2015 को अप्रार्थीया द्वारा धमकी देने के रोज जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने दिनांक 28.07.2015 को न्यायालय से नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो समयावधि में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अनुतोष के संबंध में अंकित किया कि प्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.10.2009 को मंसुख किया जाकर दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थीगण के प्रकरण में जो एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है, उसे मंसुख किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दिया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि ग्राम चौढाणी की सरहद में भूमि खसरा नम्बरा 1456 रकबा 1.05 हैक्अर अवस्थित है। प्रतिवादीगण उसकी खातेदारी के उपयोग उपभोग में तथा कब्जा काश्त में बाधा नही डाले इस आशय का प्रस्तुत किया है जिस पर न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर्ड करने के बाद तलबी प्रतिवादीगण की जारी होने पर दिनांक 30.09.2009 और दिनांक 13.10.2009 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुपस्थित होने पर सम्मन तामिल होकर लौटे उन पर कोई कार्यवाही न्यायालय द्वारा अमल में नही लाई गई। दिनांक 30.09.2009 व दिनाक 13.10.2009 को प्रतिवादी बनवारी लाल व रेखाराम उपस्थित आये व दिनांक 13.10.2009 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 10 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद आर्य अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश करने का मौखिक निवेदन किया।

आदेशिका दिनांक 21.10.2009 प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से सुभाष चन्द्र आर्य वकील ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 10 की ओर से सुभाष चन्द्र अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 व 12 से 14 के सम्मन बाद तामील गत पेशी पर प्राप्त होने पर आवाज दिलवाने पर न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 की पुनः तलबी जारी होने का आदेश दिया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 11 की तलबी दिनांक 25.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 4 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का जवाब व 02 व 10 की ओर से वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहा जिसको वकील को हिदायत अनुसार 1 व 3 का जवाब बंद किया गया व 2 व 10 की ओर से हिदायत पैरवी नही बताने पर उनके खिलाफ भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 07.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हजफ करवा लिया गया।

इस प्रकार आवेदकगण न्यायालय में बाद तामिल उपस्थित होने व काफी समय तक जवाब व वकालतनामा प्रस्तुत नही करने की सुरत में अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी से इंकार करने के कारण से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण (आवेदकगण) को सम्मन तामील होने व वकील पैरवी हेतु नियुक्त करने के बाद न्यायालय द्वारा कोई बाला–बाला डिक्री पारित नही किया है बल्कि समुचित अवसर प्रदान करने के बाद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के बाद शहादत वादिया दी जाकर बाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया है।

सम्मन तामिल कुनिन्दा द्वारा सही किया गया है जो वाद की आदेशिका से स्पष्ट है उसके एक पक्षीय कार्यवाही की गई है जो सही है। कोई बाला–बाला कार्यवाही नही की गई है। आवेदकगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. द्.)
नकलनवीस

अपना पक्ष रखने के लिये पूर्ण अवसर प्रदान किया है अनावेदकगण को पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद ही डिक्री जारी की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। आवेदकगण (प्रतिवादीगण) अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये कथन किया कि उनवानी प्रकरण मूली देवी बनाम बनाराम आदि मुकदमा नम्बर 135/2009 जो ग्राम चौढ़ाणी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1456 रकबा 1.05 हैक्टर स्थित है, का पेश हुआ था जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त की है। प्रार्थीया द्वारा गलत आधारो पर बाला–बाला रूप से डिक्री करवा लिया। प्रार्थीगण को वाद में संबंध में न तो न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त हुआ और ना ही न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बारे में कोई जानकारी थी। प्रार्थीगण मे से किसी को भी सम्मन प्रोपर रूप से तामिल नही हुये है न ही सम्मनों पर तामिल कुनिन्दा ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट की है, गलत रूप से प्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी तामिल के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थीया नम्बर 01 ने फर्जी तामिल के आधार पर दावा डिक्री करवाया है, जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के सामने अपना पक्ष स्पष्ट नही कर सके। विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित है, अप्रार्थीया नम्बर 01 मूली देवी ने भूमि हड़पने के लिए बाला–बाला रूप से दावा डिक्री करवाया है और तामिल कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामिल दिखाई है। प्रार्थी टेकचन्द के विरूद्ध तो आदेशिका में किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया गया है, उसके बावजूद भी दावा डिक्री किया गया है, डिक्री कायम रहने से प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। दिनांक 30.06.2015 को एक पक्षीय वाद डिक्री किया गया है, उस डिक्री को मंसुख किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। आवेदनकर्ता अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLW 2019 (2)RAJ. PAGE NO. 1473, RRT 2016(1) PAGE NO. 111, RRT 2011-2012 (SUPP) PAGE NO.330, RLW 2007 (1)R PAGE NO. 37, RRT 2013(2)PAGE NO. 1211 पेश किये।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध किया तथा जवाब में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया कि न्यायालय द्वारा तलबी जारी होने पर दिनांक 30.09.2009 और दिनांक 13.10.2009 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुपस्थित होने पर सम्मन तामिल होकर लौटे उन पर कोई कार्यवाही न्यायालय द्वारा अमल में नही लाई गई। दिनांक 30.09.2009 व दिनाक 13.10.2009 को प्रतिवादी बनवारी लाल व रेखाराम उपस्थित आये व दिनांक 13.10.2009 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 10 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद आर्य अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश करने का मौखिक निवेदन किया। आदेशिका दिनांक 21.10.2009 प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से सुभाष चन्द्र आर्य वकील ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 10 की ओर से सुभाष चन्द्र अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 व 12 से 14 के सम्मन बाद तामील गत पेशी पर प्राप्त होने पर आवाज दिलवाने पर उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 की पुनः तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 11 की तलबी दिनांक 25.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 4 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का जवाब व 02 व 10 की ओर से वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहा जिसको वकील को हिदायत अनुसार 1 व 3 का जवाब बंद किया गया व 2 व 10 की ओर से हिदायत पैरवी नही बताने पर उनके खिलाफ भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 07.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हजफ करवा लिया गया। आवेदकगण न्यायायलय में बाद तामिल उपस्थित होने व काफी समय तक जवाब व वकालतनामा प्रस्तुत नही करने की सुरत में अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी से इंकार करने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण (आवेदकगण) को सम्मन तामील होने व वकील पैरवी हेतु नियुक्त करने का सम्पूर्ण ज्ञान था। न्यायालय द्वारा कोई बाला–बाला डिक्री पारित नही किया है बल्कि समुचित [illegible] प्रदान करने के बाद एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाने के शहादत वादिया दी जाकर बाद [illegible] स्थ[illegible] निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया है। सम्मन तामिल कुनिन्दा [illegible] आदेशिका से स्पष्ट है उसके एक पक्षीय कार्यवाही की गई है जो [illegible] है। कोई [illegible] कार्यवाही नही की गई है। आवेदकगण को अपना पक्ष रखने के लिये पूर्ण अवसर प्रदान किया है [illegible]वेदकगण को पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद ही डिक्री जारी की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) ने न्यायिक दृष्टांत RBJ(19)2012 PAGE NO. 118 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (क्र.दे.)
[illegible]

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आवेदनकर्तागण 01 लगायत 08 को मूल वाद में दिनांक 18.09.2009 को न्यायालय द्वारा सम्मन द्वारा दिनांक 30.09.2009 को उपस्थिति हेतु जारी किये गये। पृथ्वीराज, टेकचंद के सम्मन लेखराम द्वारा प्राप्त करना, दयाराम, छोटूराम के सम्मन हर्षाराम द्वारा प्राप्त करना, प्रदीप कुमार, कालूराम, गोरूराम, छोटूराम, संजू के सम्मन बीरबलराम के द्वारा प्राप्त करना दर्ज है। आवेदनकर्तागण के सम्मन व्यक्तिशः तामिल नही करवाये गये है। यहां तक आवेदनकर्ता टेंकचंद के विरूद्ध आदेशिका में किसी प्रकार का आदेश भी पारित नही किया गया है। जहां तक सम्मन पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट का प्रश्न है। तामिल कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में कही अंकन नही किया कि सम्मन प्राप्तकर्ता का जिसके विरूद्ध सम्मन जारी किया गया है किस हैसियत से प्राप्त किये उनका आपस में क्या रिश्ता है, शामलाती परिवार है या नही, उनका आपस में क्या रिश्ता है ऐसा कुछ भी दर्ज नही किया गया है। तामिल कुनिन्दा किस दिन किस तारीख को सम्मन सुपुर्द करने के लिए गया ना ही सम्मन की पुष्ट पर सहशपथ अपना बयान दर्ज किया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदनकर्तागण की तामिल समुचित होना प्रतीत नही होती है। प्रार्थना-पत्र भी निर्णय से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। न्याय का सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना चाहिए ताकि प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सके। आवेदनकर्तागण की तामिल प्रर्याप्त नही है। इन परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना उचित नही है तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अं.आदेश 9 नियम 7 व 13 सहपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰ पोषणीय होने स्वीकार किया जाता है तथा आवेदनकर्तागण के विरूद्ध दिनांक 21.10.2009 को अमल मे लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2015 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है, को निरस्त की जाती है। मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने को आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested